

17/0/195



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

Employees Provident Fund Organisation

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)

मुख्य कार्यालय/Head Office

प्लेट ए, ग्राउंडफ्लोर, ब्लॉक-II, ईस्ट किडवाई नगर, नई दिल्ली-110023

Plate A, Ground Floor, Block II, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023

Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in



सं.- एचआरएम-1/ए-11(1)/2025/एसीसी/एसीसी(एचक्यू)/825

दिनांक: 03.11.2025

कार्यालय आदेश

विषय : तदर्थ आधार पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल 14 में अपर केंद्रीय आयुक्त- मुख्या. के पद पर पदोन्नति के संबंध में।

अपर केंद्रीय आयुक्त- मुख्या. के पद पर पदोन्नति हेतु 13.06.2025 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसाओं पर, माननीय अध्यक्ष, केंद्रीय न्यासी बोर्ड, क.भ.नि., सुश्री कविता एन. जॉर्ज, अपर केंद्रीय आयुक्त की पैनल वर्ष 2025 के लिए तदर्थ आधार पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल 14 में अपर केंद्रीय आयुक्त- मुख्या. के पद पर नियुक्ति को सहर्ष अनुमोदित करते हैं।

- नियमित पदोन्नति होने पर अधिकारी का तैनाती स्थान आंचलिक कार्यालय, चैन्नई एवं पुडुचेरी होगा। नियमित पदोन्नति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।
- पदोन्नति सीलबंद लिफाफे में उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर तदर्थ रूप में की जाएगी, जब तक कि सीलबंद लिफाफे के मामलों को अंतिम रूप नहीं दे दिया जाता है या ग्रेड में नियमित रिक्तियां उत्पन्न नहीं हो जाती हैं, जो भी पहले हो। यदि किसी अधिकारी, जिसकी संस्तुति सीलबंद लिफाफे में है, को दोषमुक्त कर दिया जाता है और सीलबंद लिफाफा खोला जाता है तथा अधिकारी को पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया जाता है, तो उसे पदोन्नति यदि कोई हो, में प्राथमिकता दी जाएगी तथा सबसे कनिष्ठ अधिकारी को रिवर्ट कर दिया जाएगा, यदि इस अधिकारी के लिए कोई रिक्ति नहीं है।
- वेतन निर्धारण के संबंध में, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा -
"ऐसे मामलों में जहाँ तदर्थ पदोन्नति के बाद बिना किसी अंतराल के नियमित नियुक्ति होती है, यह विकल्प प्रारंभिक नियुक्ति या पदोन्नति की तिथि से स्वीकार्य होगा, जिसका प्रयोग ऐसी नियमित नियुक्ति की तिथि से एक माह के भीतर किया जाना है।"
- यह नियुक्ति अन्य सभी पात्र अधिकारियों की वरिष्ठता और नियमित आधार पर पदोन्नति के दावे पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी और इससे उन्हें न तो नियमित आधार पर पदोन्नति का दावा करने का अधिकार मिलेगा, न ही वरिष्ठता का।
- सुश्री कविता एन. जॉर्ज, अपर केंद्रीय आयुक्त की तदर्थ आधार पर अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त- मुख्या. के रूप में कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट, संबंधित कार्यालय द्वारा मानव संसाधन प्रबंधन, मुख्यालय को rc1.hrm@epfindia.gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजी जाएगी। इसके अतिरिक्त, इसे एच आर-सॉफ्ट पोर्टल पर भी अद्यतन किया जाएगा।

(इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है)

शाहिर

(मोहम्मद शारिक)

क्षेत्रीय भ. नि. आयुक्त - I (मा.सं.प्र.-I)

सेवा में,

संबंधित अधिकारी

प्रतिलिपि (क.भ.नि.सं. की वेबसाइट के माध्यम से) -

1. माननीय अध्यक्ष, केंद्रीय न्यासी बोर्ड, क.भ.नि. के सचिव।
2. सचिव (श्रम एवं रोजगार) के प्रधान निजी सचिव।
3. क.भ.नि.आ. के निजी सचिव।
4. वि. सला. एवं मु. ले. अधि. /मु. सत. अधि./अ. क.भ.नि.आ. (मुख्या.)/ निदेशक (पीडीनास) के निजी सचिव।
5. सभी अ. क.भ.नि. आयुक्त, मुख्या. और अंचल/ मुख्य अभियंता।
6. सभी क्षेत्र.नि. आयुक्त (क्षेत्रीय कार्यालय) प्रभारी/ क्षेत्र.नि. आयुक्त-1 (प्रशा.)/ क्षेत्र.नि. आयुक्त (एनडीसी)
7. मुख्यालय के सभी अधिकारी।
8. सभी उप. निदेशक (सतर्कता)/ सभी आंचलिक लेखा परीक्षा दल/ आ. प्र. सं. के क्षेत्र.नि.
9. महासचिव, क.भ.नि. अधिकारी एसोसिएशन, लुधियाना।
10. संबंधित अधिकारी की निजी फाइल।
11. एसीआर/जीआईएस अनुभाग, मुख्यालय गार्ड फाइल।

शारिक

(मौहम्मद शारिक)

क्षेत्रीय भ. नि. आयुक्त - 1 (मा.सं.प्र.-1)